

क्रमांक निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी (ML BAJRI 01)/2025/ई-09778

Corrigendum-1

निदेशालय विज्ञप्ति क्रमांक निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी (ML BAJRI 01)/2025/ई-09778 दिनांक: 08.01.2025, (ML BAJRI 02)/2025/ई-09783 दिनांक: 08.01.2025 एवं (ML BAJRI 03)/2025/ई-09786 दिनांक: 08.01.2025 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

1. विज्ञप्ति क्रमांक निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी (ML BAJRI 01)/2025/ई-09778 दिनांक: 08.01.2025 के क्रम संख्या 02 पर अंकित खनि अभियन्ता, जालोर के प्लॉट संख्या 08 में कॉलम संख्या 07 "प्लॉट का क्षेत्रफल" में "9.6717" हैक्टेयर के स्थान पर "91.6717" हैक्टेयर संशोधित किया जाता है।
2. विज्ञप्ति क्रमांक निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी (ML BAJRI 01)/2025/ई-09778 दिनांक: 08.01.2025 के क्रम संख्या 05 पर अंकित खनि अभियन्ता, सिरोही के प्लॉट संख्या 09 में कॉलम संख्या 08 "खनिज बजरी की वार्षिक उपलब्ध मात्रा (टन)" में "135432.405" के स्थान पर "170459.44" संशोधित किया जाता है।
3. विज्ञप्ति क्रमांक निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी (ML BAJRI 01)/2025/ई-09778 दिनांक: 08.01.2025 में बिन्दू संख्या स "ई-नीलामी की प्रक्रिया" के क्रम संख्या 11 के पश्चात निम्नानुसार क्रम संख्या 12 जोड़ा जाता है:-

"12 क्रम संख्या 05 पर अंकित खनि अभियन्ता, सिरोही के प्लॉट संख्या 09 का सीमांकित क्षेत्र का खसरा संख्या 266/4 से वन विभाग का खसरा संख्या 278 एवं सीमांकित क्षेत्र का खसरा संख्या 282 से वन विभाग के खसरा संख्या 278 व 285 से लगा होने के कारण निर्धारित दुरी 50 मीटर छोड़कर सीमांकन किया गया है। अतः वन विभाग से लगते हुए उपरोक्त सीमांकित खसरो से नियमानुसार दुरी छोड़कर खननकार्य किया जाना अनुमत होगा।"



4. विज्ञप्ति क्रमांक निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी (ML BAJRI 02)/2025/ई-09783 दिनांक: 08.01.2025 के क्रम संख्या 03 पर अंकित खनि अभियन्ता, जालोर के प्लॉट संख्या 14 का संशोधित एनेक्शर 03 इस कोरिजेन्डम के साथ संलग्न है।
5. विज्ञप्ति क्रमांक निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी (ML BAJRI 03)/2025/ई-09786 दिनांक: 08.01.2025 के क्रम संख्या 10 पर अंकित खनि अभियन्ता, जालोर के प्लॉट संख्या 20 का संशोधित एनेक्शर 10 इस कोरिजेन्डम के साथ संलग्न है।

**(भगवती प्रसाद)आई.ए.एस.
निदेशक**

क्रमांक निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी (ML BAJRI 01)/2025/ई-09778

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. क्षेत्रिय प्रबंधक, एमएसटीसी लि0, जयपुर को भेजकर लेख है कि तत्काल वेबसाईट पर प्रकाशन करा सभी भाग लेने वाले बोलीदाताओं को अपने स्तर से तत्काल सूचित करावें।
2. नोडल अधिकारी, डी.एम.जी.ओ.एम.एस., के. का., उदयपुर को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु।
3. अतिरिक्त निदेशक (खान) जोन जोधपुर।
4. अधीक्षण खनि अभियन्ता जोधपुर।
5. खनि अभियन्ता, सिरोही/जालोर।
6. निदेशालय पत्रावली क्रमांक (ML BAJRI 02)/2025/ई-09783 एवं (ML BAJRI 03)/2025/ई-09786 में रेकार्ड संधारण हेतु।

निदेशक